प्रेस विज्ञप्ति
06.04.202

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एचडीआईएल के प्रमोटर्स राकेश वाधवान और सारंग वाधवान एवं अन्य (मैक स्टार केस) से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें मेसर्स वीणा डेवलपर्स के 36.66 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क की गई संपत्तियां कलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी पूर्व, मुंबई में एक वाणिज्यिक संपत्ति के रूप में हैं जिनमें दो कार्यालय इकाइयां 22366 वर्ग फुट क्षेत्र और वीणा वेलोसिटी चरण II, दीवानमन, जिला पालघर, महाराष्ट्र में स्थित दुकानें संख्या 1 से 27 तक कुल कालीन क्षेत्र 3541.79 वर्ग फुट शामिल हैं।

ईडी ने एचडीआईएल के प्रमोटर्स राकेश वधवान और सारंग वधवान और अन्य के खिलाफ यस बैंक द्वारा मेसर्स मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को मंजूर किए गए 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई (एसीबी), मुंबई में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। इसके अलावा मेसर्स मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन, मुंबई ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत एक नई एफआईआर दर्ज की, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि वधवान ने मैसर्स मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली कलेडोनिया बिल्डिंग में कई कार्यालय इकाइयों को अवैध रूप से और धोखाधड़ी से बेच दिया था जिससे मैक स्टार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान हुआ। इस एफआईआर में लगाए गए आरोपों की जाँच सीबीआई की उपरोक्त विस्तृत एफआईआर के साथ ईडी भी कर रही है।

ईडी की जाँच से पता चला कि वधवान ने अवैध रूप से और धोखाधड़ी से कैलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी ईस्ट, मुंबई में स्थित मैक स्टार की एक वाणिज्यिक संपत्ति को मैक स्टार को कोई वास्तविक भुगतान किए बिना मेसर्स विक्रम होम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका स्वामित्व स्वर्गीय सत्यपाल तलवार और धर्मपाल तलवार के पास है, को हस्तांतरित कर दिया। इस प्रकार, राकेश वधवान और सारंग वधवान ने मेसर्स मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के बहुमत शेयरधारक (डीई शॉ ग्रुप जिसके पास 83.36% शेयर हैं) की सहमति के बिना उपरोक्त संपत्तियों को अवैध रूप से बेचकर मेसर्स मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ धोखाधड़ी की जिसके कारण मैक स्टार को नुकसान हुआ।

ईडी ने पहले 244.36 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की थी। इस मामले में अब तक की गई कुर्की की कुल राशि 281.02 करोड़ रुपये हो गई है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।